न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 18/17

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. श्री छगनाराम चौधरी पुत्र श्री मगनाराम उम्र वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म मै महादेव किराणा, पताः– गणेश चौराहा, प्रतापनगर, जोधपुर। 2. श्री राकिशोर चौधरी पुत्र श्री धनाराम चौधरी, (हॉलसेलर), मैं.महादेव मार्केटिंग पताः– श्री विलास होटल के पास, प्लॉट न. 24, न्यू लोको रोड़ के सामने, पुलिस लाइन, रातानाड़ा। 3. श्री सोहनराम चौधरी पुत्र श्री विरमाराम, मै. अतुल ऐजेंसी, यूको बैंक के पास, भोपालगढ रोड़ बनाड़, जोधपुर। 4. श्री सुशील कुमार जैन, पार्टनर निर्माता, मैं. राजफुड़ प्रोडेक्ट, प्लॉट न. 364, रोड़ नम्बर 14, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर निवासीः– 84 नंदपुरी कॉलोनी जयपुर। 5. अनिता दौसाद पार्टनर निर्माता मै. राजफुड प्रोडेक्ट, प्लॉट नम्बर 364, रोड़ नम्बर 14 विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर। 6. शिखा दमानी पार्टनर मै. राजफुड़ प्रोडेक्ट, प्लॉट नम्बर 364, रोड़ नम्बर 14 विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर। निवासी ई 301–302 एसडीसी ग्रीन पार्क, राजा पार्क जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स महादेव किराणा गणेश चौराहा, प्रतापनगर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान सरसों का तेल (उड़ान ब्राण्ड) 200एमएल की 40 बोतल आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी0। उक्त सरसों का तेल (उड़ान ब्राण्ड) 200एमएल की 8 बोतल नमूना संख्या एडी–324 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 200/– नगद देकर आठ बोतल खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा सरसों को तेल उड़ान ब्राण्ड की 8 प्लास्टिक की बोतलों को 2–2 बोतलों को बांधकर चारा भागों में बांटा चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–324 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–324 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–324 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 28.03.2016 को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त उड़ान ब्राण्ड सरसों का तेल 200 एमएल चार मूल पैकेटस को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–324 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एल.एस. 351/एक्ट/2016/381 दिनांक 07.04.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेषन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विक्रय, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–324

एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश किया तथा उनकी ओर से बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त अधिनिमय की धारा 26 की उपधारा 2/11 की धारा 51/52 में दर्शाए गये कृत्य का किस प्रकार से उल्लघंन किया गया है। इसके अभाव में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अमानक स्तर का लगाया गया आरोप उक्त अभाव में कतई कानूनन सही नहीं है। यानी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध आरोप उक्त अभाव में कतई पोषणीय नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त सरसों के तेल का निर्माण नहीं करते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 महादेव मार्केटिंग का मालिक है एवं तथा वर्तमान समय में हॉल सेलिंग का कार्य करता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 महादेव किराणा स्टोर का मालिक है। वर्तमान सेमी हॉल सेलिंग का कार्य करता है। जिसके अंतर्गत माल यथास्थिती यानि मैन्यूफैक्चरिंग के अनुसार ही लाकर बेचते हैं। जिसमें किसी भी रूप में उक्त माल में मिस ब्राण्ड या लेबल पर अंकित दिशा निर्देशों को पूर्णतया जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं होती है। उक्त दोनों अप्रार्थी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी से ही माल जरिये बिल खरीद कर प्राप्त माल सेमी हॉलसेलिंग कर उक्त माल को मार्केट को भेजती है। जिसका अप्रार्थीगण ऐजेंसी के पास लेखा जोखा यानि बिल इत्यादि रहते हैं। ऐफएसएसऐआई के नियम अनुसार कार्यवाही उत्पादनकर्ता पर की जाती है, न की सेमीहॉल सेलिंग करने वाली ऐजेन्सी पर होती है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अपने जवाब में बताया की मेरी फर्म मैसर्स अतुल ऐजेन्सी द्वारा उक्त खाद्य नमूना एडी–324 उड़ान ब्राण्ड का सरसों तैल की सेमी हॉल सेलिंग की जाती है। जिसके अंतर्गत फर्म द्वारा मॅन्यूफैक्चरिंग फर्म से प्राप्त माल यथास्थिती बेचा जाता हैं। जिसमे किसी भी रूप में उक्त माल में मिस ब्राण्ड या लेबल पर अंकित दिशा निर्देशों की जानकारी पूर्णतया जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं होती है।

5. अप्रार्थी संख्या 4 से 6 द्वारा अपना संयुक्त जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अवगत करवाया की उपरोक्त खाद्य तैल के नमुने में रही कमी फर्म के स्टाफ की गलती के कारण हो रह गयी थी और न्यायालय को आश्वस्त करवाया की ऐसी गलती उनकी फर्म द्वारा भविष्य में नहीं दोहरायी जायेगी एवं उनके द्वारा लेबोरेट्री के नियमों का सख्ती से पालन किया जायेगा। अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया की उनके द्वारा ऐसी भूल प्रथम बार हुई है। अतः प्रथम भूल को देखते हुए जो भी उचित जुर्माना/दण्ड निर्धारित किया जावेगा। अप्रार्थीगण द्वारा भरा जावेगा।

6. विवेचन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण के पास पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 07.04.2016 के विरूद्ध अप्रार्थी अपील कर सकते थे। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थीगण ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः मैं फूड़ ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 51/52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 व 3 पर शास्ती रूपये 3000/-(प्रत्येक) अक्षरे रूपये तीन हजार (प्रत्येक) व अप्रार्थीगण 4 से 6 पर रूपये 25000/-(प्रत्येक) अक्षरे पच्चीस हजार (प्रत्येक) आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 26.05.2017 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.05.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
दिनांक :- 26-5-2017

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः–जांच/2017/ 1292-1297

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जोधपुर।
03. श्री छगनाराम चौधरी (एफबीओ/मालिक) फर्म मै महादेव किराणा, पताः– गणेश चौराहा, प्रतापनगर, जोधपुर।
04. श्री राकिशोर चौधरी (हॉलसेलर), मैं.महादेव मार्केटिंग पताः– श्री विलास होटल के पास, प्लॉट न. 24, न्यू लोको रोड़ के सामने, पुलिस लाइन, रातानाड़ा।
05. श्री सोहनराम चौधरी पुत्र श्री विरमाराम, मै. अतुल ऐजेंसी, यूको बैंक के पास, भोपालगढ़ रोड़ बनाड़, जोधपुर।
06. श्री सुशील कुमार जैन/अनिता दौसाद/शिखा दमानी, पार्टनर निर्माता, मैं. राजफुड़ प्रोडेक्ट, प्लॉट न. 364, रोड़ नम्बर 14, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर निवासीः– 84 नंदपुरी कॉलोनी जयपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर